

मकबूल बनाम एडीएम मण्डी

31.7.17

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को पत्रावली पर सुना गया।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा कार्यालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति, बीकानेर के द्वारा क्रमांक 1521 दिनांक 18-12-2017 को मण्डी लूणकरनसर में नेशनल हाईवे 15 एवं मुख्य सड़क मार्गों के पास खोखा, छप्पर टायर, पट्टियाँ, कबाड़, मलबा, ईट आदि डालकर पक्की, कच्ची चार दिवारिया, तारबन्दी, बाड़ा, कच्ची/पक्की दुकान आदि बनाकर सरकारी भूमि मण्डी क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को 5 दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त सार्वजनिक नोटिस की अपील दिनांक 22-12-2017 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश/सार्वजनिक सूचना का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सार्वजनिक सूचना की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपील को स्वीकार करने की इस्तदुआ की गई है। उक्त सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति, बीकानेर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1521 दिनांक 18-12-2017 के माध्यम से मण्डी लूणकरनसर में नेशनल हाईवे 15 एवं मुख्य सड़क मार्गों के पास खोखा, छप्पर टायर, पट्टियाँ, कबाड़, मलबा, ईट आदि डालकर पक्की, कच्ची चार दिवारिया, तारबन्दी, बाड़ा, कच्ची/पक्की दुकान आदि बनाकर सरकारी भूमि मण्डी क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को 5 दिवस में हटाने का सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। उक्त सार्वजनिक नोटिस/आदेश की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संधारणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलांट अपीलाधीन सार्वजनिक नोटिस के विरुद्ध सिविल न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। रेस्पोजेन्ट अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति/रेस्पोजेन्ट भविष्य में अपीलांट के विरुद्ध व्यक्तिशः नोटिस जारी कर विधि सम्मत कार्यवाही निष्पादित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

(रामनिवास जाट)

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर।

